

12/8/13  
(45)

By Regd. Post  
RTI MATTER  
(To be issued in Hindi)

No. VI.23014/208/2013-VS  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
(PP Division)

NDCC-II Building, 3<sup>rd</sup> Floor,  
Jai Singh Road, New Delhi-110001,  
Dated:28<sup>th</sup> June, 2013

To

Shri Rajendra Sharma,  
Bhuma Niketan Ashram,  
Sapt Sarovar Marg, Bhupatwala,  
Hardwar-249410.

**Subject:- Application under the RTI Act-2005-reg.**

\*\*\*

Sir,

Please refer to your RTI application dated 08.05.2013 received in this unit on transfer on 27.05.2013.

- 16.
2. Point Nos. (1) & (2) of your application do not relate to this unit. This unit also does not have any knowledge of the PIO who may have information in this regard.
  3. Point No.(4) does not relate to this unit. However, NM and IS-I Division of MHA may have some information. Accordingly, a copy of your application is being forwarded to NM and IS-I Division, to provide you with any information that they may have on the subject.
  4. Point Nos. (3), (5), (6), (7) and (8) may relate to this unit. In this connection it may be stated that responsibility for providing security to any individual, including religious leaders etc., is primarily that of the State government concerned in whose jurisdiction such individual ordinarily resides. In the case of security having been provided by the Central government, the same is done only on the basis of comprehensive assessment of threat by the Security agencies, whose inputs are exempted under Section 8(1)(g) of the RTI Act-2005. The information asked for is also exempt under Section 24(1) of the RTI Act-2005.

5. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3<sup>rd</sup> Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110003.

Yours faithfully,

(Girish Kumar)  
Director (VS) & CPIO  
☎ - 23438120

Copy to:


- (1) Shri Rakesh Mittal, Director & CPIO, IS-I, MHA, North Block, New Delhi alongwith a copy of the RTI application of Shri Rajendra Sharma for necessary action under the RTI Act-2005.
- (2) Shri Shantanu, Director & CPIO, NM Division, MHA, Room No.117, North Block, New Delhi alongwith a copy of the RTI application of Shri Rajendra Sharma for necessary action under the RTI Act-2005.
- (3) Shri Sanjoy Mitra, Under Secretary, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. OM No.A-43020/01/2013-RTI dated 21.05.2013.

3225/R-11/2013

सेवा में,

20.05.13

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी  
गृह सचिव कार्यालय,  
भारत सरकार सचिवालय,  
नई दिल्ली।



दिनांक - 08.05.2013

44

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत निम्न सूचनाएं प्राप्त करने हेतु रूपये 10/- पोस्टल आर्डर संख्या-121,4670 दिनांक 08/05/13 सलग्न कर भेजा जा रहा है। कृपया निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें -

1. भारतीय संत समिति के अस्तित्व और उसके द्वारा लोकहित में चलाये जाने वाले कार्यों की पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. भारतीय संत समिति के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा सन्त समिति के माध्यम से क्या-क्या जनहित में कार्य किये गये हैं, पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. विशेष सुरक्षा घेरा उपलब्ध कराने के लिए जिन कारणों को माध्यम बनाकर सिक्योरिटी दी गई है, की विवरण सहित प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. अकालवाद, नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ उनके द्वारा राष्ट्रहित में चलाये गये कार्यों एवं उनमें इनकी क्या गतिविधियां हैं, पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. किन शरारती तत्वों से जान का खतरा है, उन शरारती तत्वों की सूची की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. किन-2 अधिकारियों ने किन-2 थानों से जान को खतरा होने की रिपोर्ट की है उन रिपोर्टों की प्रमाणित छायाप्रति लिपि।
7. उन अधिकारियों की सूची जिनको जान का खतरा होने, उन्हें सी0आई0एस0एफ0 की विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है की पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अथवा उसके आदेशों के अनुपालन में वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था देने में किन मर्यादाओं और उनके कानून का पालन करने में क्या-2 दृष्टिकोण अपनाया गया उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र शर्मा)

प्रबन्धक,

भूमा निकेतन आश्रम,  
सप्त सरोवर मार्ग, भूपतवाला  
हरिद्वार-249410

संलग्नक :- आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुरक्षा घेरा देने के समाचार पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ।